न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–65 / 2022 दायर दिनांक: 24.05.2022

GCMS NO:- 2022/130 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कालू आ0 सुल्तान जाति मुसलमान तेली नि0 खानपुरा तहसील नेनवॉ वगै. (कुल 3)

– प्रार्थीगण

बनाम

कैलाश आ0 मोडूलाल जाति कीर निवासी कीरों का झोपडा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 4)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम टोपा प0म0 कोरमा मे भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 0.3398 हैक्टयर स्थित है जो बाहमी विभाजन मे प्रार्थीगणों के हिस्से मे आई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे जाने का एक प्राचीन रास्ता स्थित है जो नेश्नल हाईवे 148 डी से फटकर खसरा नम्बर 116 व 114 मे आता है एवं खसरा नम्बर 75 मे पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है जिसमे होकर आने जाने ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरणों को ले जाने का प्रार्थीगणों को सुखाधिकार प्राप्त है। यह कि वर्तमान मे रास्ता खसरा नम्बर 116 की उत्तरी पश्चिमी मेर तक चालू है परन्तु प्रत्यार्थीगण अवैध व अनाधिकृत तरीके से गत सप्ताह पूर्व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित रास्ते की भूमि व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बाड लगा दी है एवं रास्ता अवरूद्व कर दिया है जिससे प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस रास्ते के अलावा दुसरा रास्ता प्रार्थीगणों की भूमि मे पहुंचने का नही है। यह रास्ता सकडा पडता है जिसे 15 फीट चोडा किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 15 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 75 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ